

कार्यालय ग्राम अधीनारी, चन्द्रपुरा, गेकारो.

निवेदन का सं० 02/2024-25

आगे श्वर महतो वनाय ग्राम अधीनारी, चन्द्रपुरा

01-07-24

आगे श्वर महतो पिता एवं दिनु महतो
ग्राम- तारनारी, थाना-चन्द्रपुरा जिला- गेकारो
द्वारा समर्पित आवेदन पत्र का अवलोकन
किया। उन्होंने आवेदन में उल्लिखित किया
गया है कि उनके पूर्व शंकरा कोयरी,
रघु कोयरी, मधन कोयरी के नाम पर
खता संख्या 102 की भूमि पर खलिजान में
दर्ज है तथा ऑन लाईन पंजी में विश्वनाथ
महतो, भगनी महतो, तथा मेधन महतो के
नाम पंजी में पृष्ठ सं० 106 पर दर्ज होकर
ऑन लाईन लगान रसीद निर्गत हो रहा है।
आवेदन द्वारा विश्वनाथ महतो के द्वारा
विच्छेदित मोटरी महतो का नाम ऑन लाईन
पंजी में भे दर्ज कराने का अनुरोध किया
गया है। आवेदन द्वारा आवेदन के साथ
आपस पत्र (वंशावली) ऑन लाईन लगान रसीद
खलिजान की छाया प्रती, पंजी में भी छाया प्रती तथा
ऑन लाईन लगान रसीद की छाया प्रती शामिल
किया गया है।

अतः सम्बन्धित राठ अथ निवेदन एवं
अंश निवेदन एवं ऑन लाईन पंजी में भे दर्ज करें
तथा आवेदन को सम्बन्धित दस्तावेज के साथ
उपस्थित होने हेतु नोटीस निर्गत करें।
दिनांक 24-7-2024 को रखें।

2.0/25.7
R. S. Y

24.7.24

अभिलेख उपस्थापित किया गया /
पक्षकार जागेवाल महतो उपस्थित /
पक्षकार द्वारा मौजा-तारानारी थाना
नं० 103 एताना नं०-102 के जमाबंदी की
पेंजी-11 के नाम मुद्दा देन मुख
कागजात पत्रा, खतिमान की सत्यापित
प्रति, लगान रसीद दिखाया गया है,
मगरकि मौजिव पेंजी 11 में विस्वात महतो,
महान महतो, अकानी महतो, कपूर महतो
के नाम से दर्ज है। राजस्व कमिषनी
से पुतिवेदन मजदूर है। पुतिवेदन की
मौजा को /

अभिलेख दिनांक 14.8.24 को
रखे।


अंमल अधिकारी
प.प्र.पुरा

14.8.24

04.10.24

अभिलेख उपस्थापित किया गया /
पक्षकार जागेवाल महतो उपस्थित है,
राजस्व उप निरीक्षक-सह अगुमारी अंमल
निरीक्षक से जाँच पुतिवेदन प्राप्त हुआ।
इन्होंने पुतिवेदन किया गया है कि मौजा
तारानारी, थाना नं० 103 अन्तर्गत एताना
नं० 102 प्लॉट नं० 7 एरर 51.75 से अधिक

सर्वे रैयती खाते की है। उक्त ग्राह
का जमागत सकल कोयली को रूफ कोयली
के नाम से दर्ज है तथा उक्त ग्राह
जो लार्ज पैसी 11 के माग सं 02 पुर्व
सं 106 में दिखनाप पदतो को मंजूर करने
के नाम से दर्ज होकर लगातार पीछे मिल
हो रहा है। राउ उप निरीक्षक सह जंजल
निरीक्षक एवं आवेदक के दादा मोहरी पदतो
का नाम होलिंग से दर्ज कराते का
अनुशील किया जा है।

दिनांक 16/10/04 को (ले)।

अंजल अधिकारी
प.इ.पु.र.

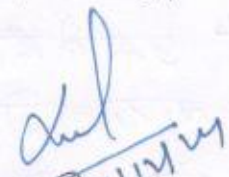
16/10/04
09/12/04

अभिषेक उपस्थान किया गया,
आवेदक जागेवर पदतो उपस्थित,
राजल उप निरीक्षक सह जंजल
अंजल निरीक्षक सह जंजल जागे
प्रतिवेदन का अवलोकन किया
उद्योग प्रतीवेदन किया गया है कि
मौजा-नारायली, माग सं 103 अर्जित
रकता सं 102 रकबा 7485.51.75 डी
रैयती खाते की है। जमागत में
सकल कोयली को रूफ कोयली के नाम

हो दर्ज है तथा ऑन लाईन
पेंसी 11 के भाग सं-02 पृष्ठ संख्या
106 में दिखनाय महतो, भवानी महतो
को संपन्न महतो के नाम से दर्ज
होकर लगान रसीद निर्गत होता है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक-सह-
अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच
प्रतिवेदन की आधार पर ताला सं-102
में केवल दिखनाय महतो वगैरह के
नाम से ऑन लाईन जमाबंदी दर्ज
करने की स्वीकृति दी जाती है।

राजस्व उप निरीक्षक-सह-प्रमुख
अंचल निरीक्षक को सूचना दिया
जाता है कि दिखनाय महतो वगैरह के
नाम से ऑन लाईन जमाबंदी दर्ज करने
की कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसी
आशय से आज इस वाद को समाप्त
किया जाता है।


अंचल अधिकारी
प-प्रमुख


R.S.I.C.I.